

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मग इनिशियलस जत

प्रार्थना पत्र संख्या 108 / 2021 GCMS NO 2021/1332

सनवाणी अनोप कंठर आदि बन्नाम रामचन्द्र आदि

अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955

नम्बर व तारीख
प्रदकाम जो इर
हुक्म की तामी
में तारी हुए

05 08 2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में मूनाई हेतु प्रशिक्षकता समग्र पक्षकारान को भावात दिलवाई गई। भावात पर प्रशिक्षकता समग्र पक्षकारान हाजिर आये। प्रशिक्षकता समग्र पक्षकारान को मूना गया। पत्रावली की गत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 2 से 9 की तामील करवाये जाने हेतु बार-बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र दायरी से लेकर आज तक अप्रार्थी संख्या 2 से 9 की तामील नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 2 से 9 की तामील कराने में कोई रुची नहीं है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



Sh
05/8/24

(सविता शर्मा)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

जिला नीमकाथाना (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी